भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001

F.No.Admn. 13-1/2026-R&P (e-427587) Dated: 06.08.2026

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Guidelines regarding prior approval for inviting VVIP/VIP Dignitaries to the Programmes / Events organized by ICAR Institutes/Units – reg.

It has been observed that on certain occasions, ICAR Institutes/Units invite VVIP/VIP dignitaries to the programmes/events or arrange their visits without any prior approval of the Competent Authority in the Council. Such instances may lead to avoidable administrative and protocol-related issues.

2. With the approval of Competent Authority, ICAR, the following guidelines are hereby issued prescribing the Authority, from whom prior approval shall be obtained before extending invitations to VVIP/VIP dignitaries for visits to ICAR Institutes/Units or for participation in the programmes/events, including cases where such visits are undertaken at the initiative of the dignitaries themselves to streamlining the procedure and ensuring appropriate coordination:

Category	Category of Dignitaries*	Competent Authority for Prior Approval
I.	President of India, Vice-President of India, Prime Minister of India, Speaker of Lok Sabha, Union Cabinet Ministers or equivalent, Chief Ministers of States / UTs, Governors/ Lieutenant Governors of States/UTs, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Deputy Speaker of Lok Sabha	Hon'ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare and President, ICAR
II.	Union Ministers of State/Ministers of State (Independent Charge) or equivalent, Cabinet Secretary/Secretaries to the Government of India/Chief Secretaries of States/UTs, Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and High Commissioners of Commonwealth countries accredited to India, Senior-level dignitaries of International Organizations	DG, ICAR
III.	Ministers in States/UTs (Cabinet/Minister of State/ Independent Charge) or equivalent, Members of Parliament (Lok Sabha / Rajya Sabha), Members of State Legislatures (MLAs / MLCs) or equivalent	DDG of the respective SMD Or Director/Head of the Institute

**** shall also include former dignitaries who have held the respective offices.***

......2/-

3. The Directors of all the ICAR Institutes/Units shall ensure strict compliance with these guidelines. Prior approval of the Competent Authority, as indicated above, shall invariably be obtained before any invitation is extended or any programme/visit involving the above categories of dignitaries is finalized.

These instructions shall come into force with immediate effect.

(Kumar Rajesh)
Director (GAC)

Distribution:

1. Directors of all the ICAR Institutes/Units.
2. DDGs of all the SMDs at ICAR Hqrs.
3. PSO to DG, ICAR / Sr. PPS to Secretary, ICAR / PPS to FA, DARE / ICAR.
4. Media Unit, ICAR with a request to upload this OM on the ICAR website.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001

फाइल सं. एडमिन. 13-1/2026- आर एंड पी (e-427587) दिनांक: 06.08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भाकृअनुप संस्थानों/यूनिटों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/आयोजनों में वीवीआईपी/वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करने हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश

ऐसा देखा गया है कि कुछ अवसरों पर, भाकृअनुप संस्थानों/यूनिटों द्वारा वीवीआईपी/वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों को कार्यक्रमों/आयोजनों में परिषद के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर आमंत्रित किया जाता है या उनकी यात्राओं की व्यवस्था की जाती है। ऐसे मामलों से प्रशासनिक तथा प्रोटोकॉल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं जिनसे बचा जा सकता है।

2. भाकृअनुप के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं जिसमें प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं, जिनसे भाकृअनुप संस्थानों/यूनिटों में कार्यक्रमों/ आयोजनों में वीवीआईपी/वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करने से पूर्व मंजूरी लेनी होगी, इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां ऐसी यात्राएं गणमान्य व्यक्तियों की पहल पर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं:

श्रेणी	गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी *	पूर्व अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी
I.	भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या समकक्ष, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल/उपराज्यपाल, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष	माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा भाकृअनुप के अध्यक्ष
II.	केंद्रीय राज्य मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) या समकक्ष, कैबिनेट सचिव/भारत सरकार के सचिव/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत एवं उच्चायुक्त, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ स्तर के गणमान्य व्यक्ति	महानिदेशक, भाकृअनुप
III.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री (कैबिनेट/राज्य मंत्री/स्वतंत्र प्रभार) या समकक्ष, संसद सदस्य (लोकसभा/राज्यसभा), राज्य विधानसभाओं के सदस्य (विधायक/एमएलसी) या समकक्ष	संबंधित विषय वस्तु प्रभाग (SMD) के उपमहानिदेशक या संस्थान के निदेशक/प्रमुख

***** इसमें पूर्व गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्होंने संबंधित पदों पर कार्य किया है।**

.....2/-

3. सभी भाकृअनुप संस्थानों/यूनिटों के निदेशक इन दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, निमंत्रण दिए जाने से पूर्व या उपरोक्त श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करने वाले किसी भी कार्यक्रम/आयोजन को अंतिम रूप देने से पहले उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी।

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(कुमार राजेश)
निदेशक (जीएसी)

<u>**वितरण-**</u>

1. सभी भाकृअनुप संस्थानों/यूनिटों के निदेशक।
2. भाकृअनुप मुख्यालय में सभी विषय वस्तु प्रभाग के उपमहानिदेशक।
3. महानिदेशक, भाकृअनुप के पीएसओ/ सचिव, भाकृअनुप के वरिष्ठ पीपीएस/ एफए, डेयर/भाकृअनुप के पीपीएस।
4. मीडिया यूनिट, भाकृअनुप को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को भाकृअनुप वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।